एनईपी के चरण-2 के अभियान के लिए संक्षिप्त नोट: एनईपी कार्यान्वयन

21 जुलाई 2021 को डी. रघुनंदन, डेल्ही साइंस फोरम, द्वारा एआईपीएसएन एनईपी अभियान संचालन समिति, एआईपीएसएन एजुकेशन डेस्क और एआईपीएसएन ईसी को प्रस्तुत

1. परिचय

एआईपीएसएन ईसी और जीसी में इस विषय पर चर्चा के तीन दौर हो चुके हैं। एनईपी पर एआईपीएसएन के अभियान के दूसरे चरण के नोट में वर्तमान निति के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसे लेखक द्वारा 21 जनवरी 2021 को ईसी में पेश किया गया था। इस नोट में अभियान से संबंधित सामग्री, रणनीति और मुख्य बिन्दुओं की रूपरेखा पर चर्चा की गई है और इसे व्यापक रूप से समर्थन भी प्राप्त हुआ है। यह नोट स्वयं ईसी सदस्यों या केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और त्रिपुरा के विशिष्ट कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चाओं और सहयोग के बाद तैयार किया गया है। यह चर्चाएं उनके संबंधित राज्यों में एनईपी के कार्यान्वयन की स्थिति पर आधारित हैं। यह नोट एक बार फिर जीसी बैठक में 7 फरवरी को पेश किया गया और उसपर चर्चा की गई। इसके बाद एनईपी कार्यान्वयन पर एआईपीएसएन एनईपी अभियान चरण-2 की योजनाओं को अंतिम रूप देने के निर्णय के साथ एक बार फिर इस नोट का व्यापक रूप से समर्थन किया गया। इन निर्णयों पर काम करने के लिए ईसी की उप-समिति का गठन किया गया जिसकी बैठक 21 मार्च 2021 को आयोजित की गई। इस ईसी उप-समिति ने एआईपीएसएन की उप-समिति ने पूर्व में तैयार किए गए नोट और निर्णयों के आधार पर अभियान को आगे बढ़ाने का काम एआईपीएसएन एजुकेशन डेस्क को सौंप दिया। यह वर्तमान नोट जल्द से जल्द अभियान को शुरू करने की दृष्टि से इस प्रक्रिया में मदद के तौर पर तैयार और प्रस्तुत किया गया है।

2. संकल्पना

एनईपी पर एआईपीएसएन के अभियान का चरण-1 सरकार द्वारा एनईपी 2020 को अंतिम रूप दिए जाने के जवाब में एआईपीएसएन के पोज़ीशन पेपर पर आधारित था[https://bit.ly/2MflH0Q]। तभी से, केंद्र सरकार ने एनईपी लागू करने का काम शुरू कर दिया और अलग-अलग राज्यों में विभिन्न स्तर पर एनईपी की कुछ नीतियों को चुनिंदा रूप से आगे बढ़ाया है। राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ईसी/ जीसी नोट का मानना है कि विपक्ष-शासित राज्यों ने कुछ हद तक एनईपी कार्यान्वयन का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। हालाँकि, यहाँ पर भी केंद्र सरकार ने एनईपी के चुनिंदा पहलुओं को कार्यान्वित करने के लिए नौकरशाहों, विशेष रूप से आईएएस अधिकारीयों, के ज़रिए अपना काम करवा रही है। दुर्भाग्यवश, इसके प्रतिरोध में अभी तक न तो कोई व्यापक अभियान शुरू किया गया है और न ही सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए कोई मंच बनाया गया है। यह समय की ज़रुरत है। इसलिए एआईपीएसएन एनईपी अभियान चरण-2 को इस स्पष्ट वास्तविकता का तत्काल जवाब देना चाहिए और शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, गैर-शिक्षण

कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, इन सभी के यूनियनों, शिक्षाविदों, अन्य विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के संभव गठबंधन को जुटाना चाहिए।

3. एनईपी के प्रति प्रतिक्रिया और प्रतिरोध

आमतौर पर, राज्यों के कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार छात्रों और शिक्षकों, जन संगठनों और अन्य हितधारकों सहित सामान्य आबादी की प्रतिक्रिया काफी उदासीन रही है।राजनितिक तौर पर जागरूक कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज संगठनों और छात्रों, शिक्षकों एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के संगठनों को छोड़कर, एनईपी का विरोध सामान्यत: कमज़ोर है।यहाँ तक कि छात्रों और शिक्षकों के बीच भी एनईपी का विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए एनईपी के विरोध को मुख्य रूप से वामदलों या शिक्षण प्रणाली के भीतर “status quo” का समर्थन करने वाले राजनितिक विरोध के रूप में माना जा रहा है।

3.1 मोटे तौर पर, एआईपीएसएन/ बीजीवीएस एनईपी के खिलाफअभियान में शामिल होंगे। यह अभियान जॉइंट फोरम ऑफ़ मूवमेंट्स ऑफ़ एजुकेशन (जेएफएमई) के तत्वावधान में चलाया जा रहा है जिसमें छात्रों, स्कूलों, और विश्वविद्यालय/ कॉलेजके शिक्षकों एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के संगठनों को शामिल किया जा रहा है। वास्तव में, एआईपीएसएन/ बीजीवीएस पहले से ही जेएफएमई में पर्सपेक्टिवपेपर तैयार करने, एनईपी कार्यान्वयन की स्थिति, आदि के संबंध में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

3.2 हालाँकि, जेएफएमई अभी कमज़ोर है या तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में उसकी सीमित उपस्थिति है। ऐसे कई राज्यों में एआईपीएसएन/ बीजीवीएस को अग्रणी भूमिका निभानी होगी।

3.3 इसके साथ ही हरयाणा, महाराष्ट्र, केरल में सक्रीय रूप से संयुक्त संघर्ष चल रहे हैं। इन संघर्षों में वाम/ प्रगितिशील शिक्षक और छात्र संगठनों का एक संयुक्त मंच केएसएसपी के साथ “रिसोर्सग्रुप” के तौर पर, पश्चिमी बंगाल में स्टूडेंट्स-टीचर्स फोरम फॉर राईट तो एजुकेशन सक्रीय है और त्रिपुरा में 13 वाम और प्रगतिशील जन संगठन काफी सक्रीय है।

3.4 एआईपीएसएन/बीजीवीएस सदस्य संगठन, राज्य से लेकर तालुक स्तर तक, हर जगह ज़ोरदार प्रचार कर रहे हैं, लेकिनकभी-कभी उन्हें अकेले ही संघर्ष करना पड़ रहा है। केरल में 10 लाख लोगों ने वेबिनार में भाग लिया है, तमिलनाडु में ज़मीनी स्तर का अभियान चल रहा है, मध्य प्रदेश में “सेव एजुकेशन, सेव कांस्टीट्यूशन” अभियान चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री,विपक्ष के नेताओं, सांसदों, आदि को भेजे गए हैं। 2005 में गठित “सेव एजुकेशन, सेव कांस्टीट्यूशन” अभियान को आंध्रप्रदेश, झारखंड, आदि में पुन:स्थापित किया गया है।

4. प्रस्तावित अभियान रणनीति

यह सुझाव दिया जाता है कि:

a. छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, आदि को सीधे संबोधित करते हुए विभिन्न भाषाओं में एक नया और सरल पत्रक तैयार किया जाना चाहिए जिसमें मुख्य मुद्दों और खतरों कि चर्चा होनी चाहिए और साथ ही एआईपीएसएन द्वारा समग्र समालोचना (पोज़ीशन पेपर) का संक्षिप्त सारांश भी दिया जाना चाहिए।

b. जेएफएमई को फिरसे मज़बूत करना, लेकिन राज्य स्तर पर वर्तमान कमियों को देखते हुए, एआईपीएसएन को सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए प्रत्येक राज्य में विस्तृत "जेएफएमई प्लस" मंच बनाना चाहिए।

c. न केवल प्रतिबद्ध यूनियनों और वाम/ प्रगतिशील संगठनों तथा लोगों को बल्कि सभी वर्गों को शामिल करने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए ताकि पक्षपातपूर्ण राजनीति प्रतीत न हो।

d. आम जनता, अभिभावक, शिक्षक, छात्र में से जो भी एनईपी को लेकर भ्रमित हैं, उन्हें आश्वस्त और संगठित करने की आवश्यकता है; मध्यम वर्ग को उच्च फीस, निजीकरण, व्यावसायिक पाठ्यचर्या, आदि से आश्वस्त करने के अच्छे उपाय हैं।

5. गतिविधियाँ

स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए वर्चुअल और फिज़िकल अभियान (कोविड संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार) का संयोजन:

a. राज्य स्तरीय गठंधन/ मंच बैठकें
b. राज्य स्तरीय सम्मलेन
c. राज्य स्तरीय कार्यकर्ता शिविर
d. ज़िला स्तरीय सम्मलेन
e. जनता द्वारा विरोध गतिविधियाँ (राज्य की क्षमता अनुसार विभिन्न स्तरों पर)
f. एआईपीएसएन कोर ग्रुप द्वारा राष्ट्र-स्तर की निति-आधारित पक्ष-समर्थन और दबाव

6. मसौदे का आधार: पृष्ठ के दूसरी ओर देखें

<u>एआईपीएसएन एनईपी के चरण-2 अभियान के लिए मसौदे का आधार</u>

ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क (एआईपीएसएन) नई शिक्षा नीति (एनईपी) के वर्तमान कार्यान्वयन और इसको अपनाने के तरीकों को लेकर काफी चिंतित है। केंद्र सरकार द्वारा एनईपी के मसौदे पर जनता के विचारों को आमंत्रित किया गया जिसमें एआईपीएसएन ने एनईपी के कई प्रावधानों पर गंभीर असहमति व्यक्त करते हुए मसौदे की विस्तृत आलोचना और प्रतिक्रिया दी है। केंद्र सरकार ने इन सभी आलोचनाओं और सुझाए गए विकल्पों को अनदेखा करते हुए एनईपी 2020 मसौदे का पुन:प्रारूपण तैयार करके उसे ही अंतिम रूप दे दिया। इसमें प्रस्तावित सुझावों को अस्वीकार करने के कारणों या बिना किसी सार्वजनिक परामर्श के किए गए परिवर्तनों पर चर्चा किए बिना ही परिपूर्ण किया गया। संशोधित एनईपी पर विस्तृत आलोचनाओं को एआईपीएसएन द्वारा एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया है और इसका समर्थन करने वाले कई विशेषज्ञों शिक्षाविदों और नागरिक समाज संगठनों के अलावा स्कूल और कॉलेज/ विश्वविद्यालय के शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों के साथ सेमीनार और कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं हैं।

यह तो स्पष्ट है कि एनईपी पर संसद में चर्चा किए बिना ही मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूरी दे दी गई। केंद्र सरकार ने एनईपी को अंतिम रूप देने से पहले न तो राज्य सरकारों के साथ चर्चा की और न ही राज्यों को अपनी विधानसभाओं में चर्चा करने का अवसर दिया जबकि संविधान के तहत शिक्षा एक समाधिकार का विषय है। इस तरह एनईपी को तैयार करने की पूरी प्रक्रिया गैर-पारदर्शी और केंद्रीकृत रही है। यह वर्तमान सत्तारूढ़ व्यवस्था के शासन का एक पसंदीदा तरीका रहा है जिसे दुर्भाग्य से एनईपी लागू करने की प्रक्रिया में दोहराया जा रहा है। एक बार फिर राज्यों और हितधारकों से परामर्श किए बिना एनईपी को एकतरफा रूप से देश पर थोपा जा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा इसको अमल में लाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है।

एईईपीएसएन का मानना है कि एनईपी स्कूल स्तर पर सार्वभौमिक सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने के केंद्र सरकार दायित्व को पूरी तरह ख़त्म करता है और छात्रों को उचित लागत में 21वीं सदी के लिए उपयुक्त उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों को गंभीर रूप से कम करता है। एनईपी के माध्यम से सभी स्तरों पर, और अतिरिक्त साधनों के माध्यम से, शिक्षा के व्यवसायीकरण और निजीकरण को बढ़ावा देने के कारण इसे पलट पाना काफी संभव नहीं है। एनईपी वर्चुअल या दूरस्थ शिक्षा पर अधिक ज़ोर देता है जिससे पहले से ही असमान समाज में डिजिटल विभाजन को बनाए रखता है और शिक्षा प्रणाली में कम आय और कम-विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों के छात्रों के अधिकारों का और भी अधिक हनन करता है। सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और कॉलेज/ विश्वविद्यालयों में और अधिक फीस के साथ तथाकथित व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। एनईपी देश के विभिन्न हिस्सों में विविध सामजिक-सांस्कृतिक संदर्भों की अनदेखी करते हुए पाठ्यक्रम, कई प्रवेश और आवधिक परीक्षाओं तथा स्कूली पाठ्य पुस्तकों को केंद्रीकृत करता है जिसे सभी शिक्षकों को सहमति देनी चाहिए और उसी के अनुसार शिक्षण को आकार देना चाहिए। एनईपी केंद्र सरकार की एजेंसियों को स्कूल एवं उच्च शिक्षा

दोनों में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की निगरानी के लिए प्राथमिकता देती है। शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के अधिकारों और नौकरी की शर्तों को कम किया जा रहा है तथा कॉर्पोरेट प्रबंधकीय प्रणाली और संस्कृति को उच्च शिक्षा के संस्थानों में प्रस्तुत किया जा रहा है। संशोधित पाठ्यक्रम के माध्यम से देश के विविध राज्यों, क्षेत्रों और समुदायों में हिंदी, संस्कृत और कथित हिंदू संस्कृति को लागू करने के प्रयास किए गए हैं जो पूरे देश के लिए चिंता का विषय है।

इस व्यापक परिपेक्ष्य के बावजूद, राज्य सरकारों को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार द्वारा एनईपी को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। इस कार्यान्वयन में कई सामान्य विशेषताएं हैं, तौर तरीकों में कुछ भिन्नता और विभिन्न पहलुओं पर ज़ोर और प्राथमिकता देने में भी कुछ अंतर हैं।

विभिन्न राज्यों के एआईपीएसएन/ बीजीवीएस कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर एनईपी कार्यान्वयन के कुछ व्यापक रुझान नीचे दिए गए हैं।

1. कुल मिलाकर, केंद्र सरकार द्वारा एनईपी को पूरे देश में अलग-अलग गति, अलग-अलग दायरों, अलग-अलग तरीकों का उपयोग करते हुए अलग-अलग राज्यों में लागू किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि भाजपा शासित राज्य एनईपी को काफी सख्ती से लागू कर रहे है लेकिन इनमें भी कुछ सामान्य विशेषताएं भी हैं और विभिन्न राज्य अलग-अलग पहलुओं पर ज़ोर दे रहे है। गैर-भाजपा शासित राज्य एनईपी के कार्यान्वयन पर ज़ोर नहीं दे रहे हैं, कुछ राज्यों ने तो केंद्र सरकार को पत्र के माध्यम से एनईपी पर अपनी असहमति व्यक्त की है या इसे लागू करने से इनकार किया है। हालाँकि, केंद्र सरकार विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों, नौकरशाहों विशेष रूप से आईएएस अधिकारीयों और अन्य माध्यमों से गैर-भाजपा शासित राज्यों में एनईपी को लागू करने का दृढ़ प्रयास कर रही है।

1.1 भाजपा शासित या भाजपा से संबद्ध राज्य अलग-अलग गति और अलग-अलग चीज़ों को महत्व देते हुए एनईपी को लागू करने के लिए पूरी क्षमता से आगे बढ़ रहे हैं। इनकी कुछ सामान्य विशेषताएं कई "अव्यवहार्य" सरकारी स्कूलों को बंद करना, उच्च फीस वाले कॉलेजों में वर्ष-वार निकास विकल्पों के साथ 4-वर्षीय व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना और विभिन्न रूपों में स्कूलों और कॉलेजों का निजीकरण करना। कर्नाटक ने शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में राज्य शिक्षा आयोग और विधायी उपाय योजनाओं तथा राज्य कार्यान्वयन टास्क फ़ोर्स के साथ 10 वर्षीय रोड-मैप तैयार किया है जिसकी त्रैमासिक समीक्षा की जाएगी। मध्य प्रदेश में भी एनईपी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है लेकिन अभी तक इसकी संरचना को सार्वजनिक नहीं किया गया है। त्रिपुरा में भी एनईपी को सख्ती से लागू किया जा रहा है।

1.2 विपक्ष/ गैर-भाजपा शासित राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र में एनईपी को पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा है, हालाँकि विरोध की सीमा या अनुपालन में काफी अंतर है। राजस्थान और ओडिसा में एनईपी के कार्यान्वयन की स्थिति अहि पूरी तरह से मालूम नहीं है। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों ने एनईपी (WB,Ker) को लागू करने के संबंध में केंद्र को लिखित और स्पष्ट रूप से न कहा है। हालाँकि, केंद्र द्वारा इन राज्यों में भी विभिन्न माध्यमों से एनईपी को लागू करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार का मुख्य तरीका शिक्षा मंत्रालय (MoEd) के माध्यम से वरिष्ठ नौकरशाहों विशेष रूप से आईएएस अधिकारीयों से एनईपी को लागू करवाना है भले ही इन अधिकारीयों को राज्य सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार काम करना होता है। कुछ मामलों में, MoEd और राज्यों के चुनिंदा अधिकारीयों के बीच ये बातचीत गोपनीय रूप से की जाती है।

1.3 सभी राज्यों को समितियां बनाने के निर्देश दिए जा रहे हैं जिनमें अधिकांश नौकरशाह हों और वो सीधे तौर पर MoEd के साथ गैर-पारदर्शी रूप से काम करें। राज्यों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है जिसे MoEd द्वारा गोपनीय निर्देश दिए जा सकें, उसे एकल-संपर्क सूत्र के तौर पर उपयोग किया जाएगा ताकि इन निर्देशों को लीक होने से बचाया जा सके। कई राज्यों ने बताया है कि एनईपी कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए राज्यों को कार्य और ज़िम्मेदारी की स्प्रेडशीट भी जारी की गई है। आंध्र प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अनूठी शिक्षा निति को अपनाने का काम कर रही है। आंध्र प्रदेश कुछ मामलों में तो एनईपी लागू कर रहा है लेकिन उसके कई अन्य तरीके एनईपी से अलग हैं जो इसके कई मुख्य सुझावों का खंडन करते हैं। उदाहरण के लिए, एपी ने प्राथमिक विद्यालय से ही शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में मातृभाषा के बजाय अंग्रेज़ी को अनिवार्य किया है। स्कूलों को बंद करना तो दूर, एपी सरकार स्कूलों के बुनियादी ढांचे पर पर्याप्त खर्च कर रही है जिसमें 10 प्राथमिकता वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार प्रत्येक बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) छात्र को स्कूल यूनिफार्म, स्कूल बैग, पाठ्य पुस्तकों, आदि के लिए 15,000 रूपए ही दे रही है। इसके परिणामस्वरूप, सरकारी स्कूलों में नामांकन में काफी वृद्धि हुई है।

1.4 एनईपी कार्यान्वयन के वर्तमान चरण में कई सामान्य विशेषताएं उल्लेखनीय हैं।

2. स्कूली शिक्षा में, “क्लस्टर स्कूल” के निर्माण के साथ-साथ एनईपी के निर्देशों के अनुसार कई राज्यों में “अव्यवहार्य” सरकारी स्कूलों को व्यापक स्तर पर बंद किया जा रहा है। हरयाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, आदि में हज़ारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इससे निम्न-आय वाले ग्रामीण परिवारों और दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में शिक्षा तक पहुँच में कमी होगी जबकि इस वर्ग के लिए शिक्षा तक पहुँच में वृद्धि की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में 40% ग्रामीण बच्चों की स्कूल तक पहुँच बहुत खराब है, ऐसे में स्कूलों को बंद करने से स्थिति और ख़राब होगी। यह तो पहले से ही स्पष्ट है कि स्कूल ड्राप-आउट दर में तेज़ी

से वृद्धि हो रही है और कोविड-19 महामारी द्वारा स्थिति और ही गंभीर हो गई है। कई सरकारी स्कूलों के बंद होने से शिक्षकों के रोज़गार, परिलब्धियों और काम करने की स्थिति में गिरावट आ रही है। यह भी देखा गया है कि झारखंड जैसे राज्यों में इसका विरोध किया जा रहा है जो पहले से बंद स्कूलों को फिर से खोल रहे हैं।

2.1 स्कूल प्रणाली के निजीकरण को व्यापक रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। देखा जाए तो अव्यवहार्यता के कारण कथित रूप से बंद किए जा रहे स्कूल निजी संस्थानों को सौंपे जा रहे हैं जैसे हरयाणा और त्रिपुरा में सरकारी स्कूलों को बंद करने का वास्तविक उद्देश्य उजागर हुआ है। ज़ाहिर है, यह और नए निजी स्कूल उच्च फीस ले रहे हैं जिससे शिक्षा तक पहुँच में असमानता बढ़ रही है। हरयाणा में तो सरकारी संस्कृति स्कूल ही 'मॉडल स्कूल' के नाम पर उच्च फीस वसूल कर रहे हैं। यह एक तरह से एनईपी के उद्देश्य को ज़ाहिर कर रहे हैं।

2.2 स्कूली शिक्षा का केंद्रीकरण भी एनईपी का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसे चुनिंदा अधिकारीयों के माध्यम से राज्यों में कई नए और विध्वंसक तरीकों से बढ़ावा दिया जा रहा है। हरयाणा का उदाहरण लिया जाए तो सीबीएसई को बढ़ावा देते हुए कई राज्य शिक्षा बोर्ड कमज़ोर किए जा रहे हैं। केंद्रीकरण और देशभर में स्कूली शिक्षा में एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए समग्र शिक्षा योजना का उपयोग किया जा रहा है। यह वास्तव में राज्यों की स्वायत्ता को अनदेखा करते हुए उनकी राज्य शिक्षा प्रणाली में सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने के इच्छा को भी नकारता है। यह भारत में उनकी मान्यता और विविधता का उत्सव मानाने का एक माध्यम होता है।

2.3 केंद्रीकरण का एक और गंभीर पहलू "एक भारत, एक पाठ्यक्रम" के सिद्धांत को बढ़ावा दिया जाना है जिसका उदाहरण त्रिपुरा में देखा जा सकता है। यह अधिकांश शिक्षाविदों के सुझावों के विपरीत हैं जो स्थानीय और सांस्कृतिक संदर्भों में निहित स्कूली शिक्षा के महत्व पर ज़ोर देते हैं। यह भारत की विशिष्ट और बहुमूल्य विविधता को कमज़ोर करने और कल्पित समरूप संस्कृति को बढ़ावा देने के इरादे को दर्शाता है। एनईपी दस्तावेज़ों में प्राचीन हिंदू संस्कृति, संस्कृत और हिंदी पर अधिक ज़ोर दिए जाने की काफी आलोचना हुई है। हाल ही में कोलकाता के शिक्षाविदों ने पाठ्यपुस्तकों में "अत्यधिक हिंदी-संस्कृत" की शिकायत की है।

2.4 राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्टों के अनुसार, एनईपी के उपरोक्त निर्देशों के परिणामस्वरूप स्कूल ड्राप-आउट में वृद्धि, निजीकरण में तेज़ी और अभिजात वर्ग को छोड़कर शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है।

3. उच्च शिक्षा में भी केंद्र सरकार इसी तरह से राज्यों में एनईपी के प्रमुख तत्वों को आगे बढ़ा रही है। यहाँ भी केंद्रीकरण का लागू करने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ केंद्र MoEd यूजीसी, स्वयं MoEd और इसी प्रकार की अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जारी किए गए परिपत्रों की एक श्रंखला का उपयोग कर रहा है जिनकी वैधता संदिग्ध होते हुए भी केंद्र सरकार द्वारा इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। एनईपी को लागू करने की प्रक्रिया पर राय जानने के लिए कॉलेज के शिक्षकों, स्कूल प्रधानचार्यों, आदि को प्रश्नावली भेजी जा रही है जिससे प्रतीत हो रहा है कि वे एनईपी के "हितधारकों" के तौर पर सीधे एमएचआरडी से जुड़े हैं, भले ही एनईपी में कई प्रावधान उनके हितों के खिलाफ हैं।

3.1 केंद्र सरकार एक केंद्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से एचईआई के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को अपनाने पर ज़ोर दे रही है। तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों द्वारा नीट परीक्षा के विरोध के बावजूद यह प्रयास जारी हैं और काफी तेज़ी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हरयाणा और त्रिपुरा जैसे कुछ राज्य कॉलेजों और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय के कॉमन एंट्रेंस प्रणाली के माध्यम से राज्य स्तर पर समान मॉडल अपना रहे हैं।

3.2 एनईपी चाहता है कि विश्वविद्यालय संबंधक संस्थान न हों, बल्कि स्वयं चलने योग्य संस्थान (स्टैंड-अलोन), खास तौर से कैंपस, विश्वविद्यालय हों और पूर्व सम्बद्ध कॉलेज या तो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निर्धारित मानकों और उनके द्वारा मान्यता अनुसार स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज बन जाएं या फिर पोरी तरह बंद हो जाएं। इस प्रक्रिया को वित्तपोषण के उपयोग से गति प्रदान की जा रही है। हालाँकि, अमेरिका और यूरोप पर आधारित यह मॉडल उचित प्रतीत होता है लेकिन यह व्यावहारिक रूप से यह भारत में वास्तविकता से दूर माना जाता है। भारत में प्रमुख विश्वविद्यालयों के माध्यम से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के कॉलेज उच्च शिक्षा तक पहुँच का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करते हैं। इससे विशेष रूप से निम्न-आय वर्ग के ग्रामीण और अर्ध-शहरी युवाओं और अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को उच्च शिक्षा तक पहुँच हासिल होती है।

3.3 केंद्र सरकार द्वारा दबाव की रणनीति को अपनाते हुए उच्च शिक्षा के निगमीकरण और व्यवसायीकरण को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को धन उगाही में सक्षम बनाने की नीतियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। एचईआई संचालन के संदर्भ में विश्वविद्यालय सीनेट या अकादमिक परिषदों को कॉर्पोरेट-शैली में परिवर्तित किया जा रहा है जिसमें सरकार द्वारा नामांकित लोगों को शामिल किया जाएगा। यह अकादमिक समुदाय को एचईआई संचालन से दूर करेगा, विश्वविद्यालय समुदाय की भागीदारी के साथ लोकतांत्रिक और सहभागी एचईआई संचालन के विरुद्ध काम करेगा और एक ऐसी शैली को प्रोत्साहन देगा जो अकादमिक पहलुओं से अधिक व्यवसायीकरण में अधिक रूचि रखेगा।

3.4 एनईपी का प्रमुख आकर्षण 4 वर्षीय “व्यवसायिक” डिग्री पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना है जिसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, आदि के साथ वार्षिक निकास के विकल्प मौजूद रहेंगे (और जैसे जैसे विभिन्न प्रकार/ स्तर की शिक्षा और कार्य अनुभव के लिए क्रेडिट प्रणाली विकसित होती है, वार्षिक लेटरल-एंट्री के विकल्प भी तैयार शुरू हो जाएंगे)। इस पहल से यह साफ़ है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय बिना किसी नियंत्रण के उच्च फीस वसूल कर सकेंगे। पहले से ही कई शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल और कॉलेज अपने परिसरों और जगहों का उपयोग कोचिंग और इसी तरह के अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए कर रहे हैं जिसमें अक्सर नगरपालिका और अन्य नियमों को दरकिनार कर दिया जाता है। एनईपी अब एचईआई को अनियंत्रित बाज़ार का फायदा उठाते हुए खुले तौर पर पैसा बनाने का मौक़ा देता है। निजी, सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों में बिना एआईसीटीई की मान्यता के उच्च फीस के साथ 4-वर्षीय बीए/ बीएससी कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए त्रिपुरा के कई निजी व्यवसायिक कॉलेज अब त्रिपुरा (केंद्रीय) विश्वविद्यालय से संबद्ध किए जा चुके हैं और कई कई अन्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने एआईसीटीई की मान्यता के बिना 4.5 लाख फीस के साथ ऐसे पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि त्रिपुरा के एक राज्य विश्वविद्यालय एमबीबी ने भी विभिन्न प्रदत्त (पेड) कोर्स शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि तमिलनाडु में भी कई सहायता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने 4-वर्षीय व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं जिनपर न तो की नियंत्रण है और वे उच्च फीस भी वसूल कर रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार बदलने के बाद तमिलनाडु में भी एनईपी को लागू करने का विरोध किया जा रहा है। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के व्यवसायिक योग्यताओं के लिए बाज़ार में कितनी मांग है, ऐसे छात्र कितने पारिश्रमिक की उम्मीद कर सकते हैं और नियुक्ति की कितनी संभावना है। वर्तमान में इन सभी चिंताओं के बारे में कोई चर्चा नहीं है। ऐसे में छात्र शिक्षा में उच्च निवेश करने के बावजूद उनका भविष्य अनिश्चित बना रहेगा। इसके साथ ही 4-वर्षीय पाठ्यक्रम के विभिन्न स्तरों पर लेटरल एंट्री का विचार भी पूरी तरह अपरीक्षित है।

3.5 एनईपी के तहत अन्य तरीकों से भी एचईआई का व्यवसायीकरण और निजीकरण काफी तेज़ी से हो रहा है। प्रोफेशनल कॉलेजों और मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आदि के पाठ्यक्रमों के लिए 15-20 लाख रूपए की भारी-भरकम फीस वसूल की जा रही है। उदाहरण के लिए हरयाणा के मेडिकल कॉलेजों में 25 लाख से 50 लाख रूपय की फीस वसूली जा रही है और यहाँ तक कि आईआईटी की फीस में भी वृद्धि देखी गई है। इनमें से कई एचईआई में शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधाएं न के बराबर हैं। फीस इतनी अधिक है कि भारतीय छात्र चीन, रूस और अन्य जगहों पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा रहे हैं। छात्रों का ऐसा मानना है कि इन क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर है। उच्च फीस वाले व्यवसायिक या प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए नए कॉलेज खुलने के अलावा, मौजूदा कॉलेजों का

निजीकरण भी काफी तेज़ी से हो रहा है। उदाहरण के लिए त्रिपुरा के सरकारी कॉलेजों को निजी संस्थानों को सौंपा जा रहा है या निजी भागीदारों के साथ पीपीपी मोड में चलाया जा रहा है। उच्च फीस के कारण अमेरिकी मॉडल के समान भारत में भी छात्रों द्वारा बैंकों से कर्ज लेने की प्रथा पिछले कुछ दशकों में काफी तेज़ी से बढ़ रही है जिसमें छात्र खुद को इन वित्तीय संस्थानों के ऋण के तले दशकों तक फंसे हुए रहते हैं।

3.6 इन सभी परिवर्तनों के साथ भारत में उच्च शिक्षा व्यापक बदलाव, अधिकतर बदतर, की ओर अग्रसर है। कम आय वाले परिवारों के छात्रों को उच्च फीस के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करना कठिन होगा। यहाँ तक कि व्यवसायिक पाठ्यक्रम, जिनको उन वर्गों के लिए माना जाता है जिन्हें रोज़गार में जल्दी प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, उनके लिए भी व्यवसायीकरण और फीस में अपरिहार्य वृद्धि से कुछ बेहतर तलाश करना होगा। यदि निजीकरण सहित एनईपी में परिकल्पित परिवर्तनों से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार भी होता है तो उसका लाभ केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को ही प्राप्त हो पाएगा।

3.7 वर्चुअल लर्निंग से संबंधित शैक्षिणिक समस्याओं के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न तरीकों से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। इस संदर्भ में डिजिटल विभाजन को भी अनदेखा किया जा रहा है जो उच्च शिक्षा में पहुँच की असमानताओं को और बढ़ा सकता है।

4. **प्री-स्कूली शिक्षा** एनईपी की शुरुआत के बाद से भ्रम की स्थिति में रहा है जिसमें प्री-स्कूली शिक्षा को आंगनवाड़ियों में शुरू करने या स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई थी। कुछ राज्यों में तो प्री-स्कूली शिक्षा स्कूल परिसर में ही जारी है लेकिन हरयाणा जैसे राज्यों में इसे आंगनवाड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि कुछ राज्यों में स्थिति अभी भी दोनों मॉडलों के बीच झूल रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी तक आवश्यक योग्यताओं, दूरस्थ माध्यमों से परीक्षण जैसे एप, आदि के बारे में स्पष्टता का अभाव है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उचित पारिश्रमिक में वृद्धि, अधिक स्थिर या स्थायी रोज़गार की स्थिति, नई जिम्मेदारियों और सामाजिक स्थिति को व्यक्त करने वाले नए नौकरी के पद, आदि के बारे में चिंतित हैं जो नई उपाधी और कार्यों के साथ व्यक्त किए जा सकें। आंगनवाड़ियों में प्री-स्कूल गतिविधियों के लिए अतिरिक्त और आवश्यक बुनियादी ढाँचे से संबंधित सवालों का अभी भी कोई जवाब उपस्थित नहीं है।

5. **गैर-औपचारिक शिक्षण** में समग्र साक्षरता कार्यक्रम और इससे संबंधित राज्य शिक्षा संसाधन केंद्रों (एसईआरसी) सहित साक्षरता के बाद की गतिविधियों में सामुदायिक जुड़ाव के लिए सामुदाय-आधारित शैक्षिक मॉडलों की सफलता के बावजूद केंद्र सरकार ईच-वन-टीच-वन या दूरस्थ शिक्षा मॉडलों पर ज़ोर दे रही है। उदाहरण के लिए हमाचल प्रदेश छात्र वालंटियर्स के माध्यम से स्कूलों में प्रौढ़ शिक्षा का संचालन कर रहा है। ईच-वन-टीच-

वन या दूरस्थ शिक्षा मॉडल अप्रभावी और बहुत कम मौके देता है जबकि हिमाचल प्रदेश का मॉडल की प्रभावशील अत्यधिक अनिश्चित है क्योंकि यह सीखने-सिखाने को व्यक्तित्वलोप और असंदर्भित करता है जिसे आवश्यक न होने पर भी बहुत उपयोगी माना जाता है।